संख्या-38/2019/588/छप्पन-2019-153/2000

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 मार्च, 2019

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए Twin Pack Engine Assy. Sl. No. PCE-TG0433 पर Hot Section Inspection (H.S.I.) and Overhaul का कार्य कराए जाने हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 665/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/2018 (पी), दिनांक 07 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भगत पत्र में अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए Twin Pack Engine Assy. Sl. No. PCE-TG0433 पर Hot Section Inspection (H.S.I.) and Overhaul का कार्य कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-107/2018/1928/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा रू0 5,31,36,160/- (रूपए पाँच करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है । इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सन्दर्भ में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माता कम्पनी मेसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी, कनाडा स्थित कार्यशाला भेजने के उपरान्त बजटरी कोटेशन शर्तो के अनुसार फर्म से इंजिन तथा एसेसरीज के डिटेल्ड स्ट्रिप/टियर डाउन इंस्पेक्शन रिपोर्ट तथा फाइनल कास्ट इस्टीमेट संख्या-9502088 दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा यू0एस0 डॉलर 378499.06 की फाइनल कास्ट उपलब्ध कराई गई है, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपए 80/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपए 3,02,79,925/- (रूपए तीन करोड़ दो लाख उन्यासी हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) होती है तथा इस धनराशि पर लेटर ऑफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपए 30,27,993/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपए 3,33,07,918/- का भुगतान फर्म को किया जाना है। प्रश्नगत कार्य हेतु अनुषांगिक व्यय के रूप में मेसर्स ओरियन्टल कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ से ट्रांजिट बीमा कराए जाने हेतु रूपए 93,984/- की आवश्यकता है तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

मेसर्स सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली से Twin Pack Engine के आयात हेतु कस्टम ड्यूटी/जी0एस0टी0 पर होने वाले व्यय रूपए 22,17,172/- की भी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल 3,56,19,074/- (रूपए तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है तथा उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रूपए 5,31,36,160/- (रूपए पॉच करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) के सापेक्ष पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि रूपए 3,56,19,074/- (रूपए तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार चौहत्तर मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि कोषागार में जमा किए जाने की स्वीकृति दी जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए Twin Pack Engine Assy. Sl. No. PCE-TG0433 पर Hot Section Inspection (H.S.I.) and Overhaul का कार्य कराए जाने हेतु कुल रूपए 3,56,19,074/- (रूपए तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार चौहत्तर मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-107/2018/1928/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रूपए 5,31,36,160/- (रूपए पॉच करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) के सापेक्ष पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि रूपए 3,56,19,074/- (रूपए तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार चौहत्तर मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि कोषागार में जमा किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए Twin Pack Engine Assy. Sl. No. PCE-TG0433 पर Hot Section Inspection (H.S.I.) and Overhaul वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

http://gnsamadesh.up.nic.in

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7- 231(1)/दस-2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 38/2019/588(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in